



कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक (द्वितीय), रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, करौली

Mail ID- dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in

Phone No. 07464-297007

क्रमांक: एफ () 2023-24/वन्यजीव स्वी./उवसंआरटीआर-11/4027 दिनांक :- 25.10.23
निमित्त

अधिशायी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड सपोटरा जिला करौली।

विषय :- "Construction of Widening, Strengthening on Kranapur-Mandrail-Ond-Chandelipura Road (MDR-3A) From Kranpur MDR-3A KM Stone No-00.00 to MDR-3A KM Stone No-34.00, Tehsil-Mandrail, District-Karauli (Rajasthan)" Proposal No : FP/RJ/ROAD/ 148609/2021 for forest clearance.

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर का पत्रांक 2220 दिनांक 11.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आलौच्य प्रकरण मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर को भिजवाये जाने पर श्रीमान् जी के संदर्भित पत्रांक से अवगत करवाया है कि प्रस्ताव पत्रावली की चैक लिस्ट के बिन्दू संख्या 9, 10 एवं 11 के अनुसार सही परिपत्र संलग्न नहीं है। अतः मूल प्रस्ताव पत्रावलियां वापिस भिजवाई जा रही है। कृपया चैक लिस्ट के अनुसार बिन्दू संख्या 9, 10 एवं 11 की पूर्ति कर पुनः प्रस्तुत करें।

संलग्न :- प्रस्ताव मूल 5 प्रतियों में।

भवदीय

(नाहर सिंह सिनसिनवार)

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, करौली

[Handwritten signature]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर
क्रमांक: एफ ()एफसीए/मुवसंवजी/2023/2220 दिनांक 11/9/23
निमित्त

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
द्वितीय, रणथम्भौर बाघ परियोजना
करौली

विषय:-Construction of widening strengthening on Karanpur-Mandrail-ond-
Chandelipura road (MDR-3A) from karanpur MDR-3A Km stone No-00.00 to
MDR-3A Km stone No-34.00 Tehsil-Mandrail, Districk-Karauli (Rajasthan)
Proposal No. FP/RJ/ROAD/1486069/2021 for forest clearance.

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 3225 दिनांक 22.08.2023

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण उच्च कार्यालय को भिजवाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रकरण का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा प्रकरण बिना चैक लिस्ट से मिलान किये ही भिजवाया गया है। मूल प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं कृपया चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 9, 10, एवं 11 के अनुसार पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न:-प्रस्ताव मूल 4 प्रतियों में

PCP
26/9/23



भवदीय
(पीठकथिरवेल)
मुख्य वन संरक्षक
वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवस./ 7683

दिनांक 04/10/2023

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं
क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना,
सवाईमाधोपुर।

विषय:- Diversion of 8.5635 ha. forest land for "Construction of Widening, Strengthening on Kranapur Mandrail -Ond-Chandelipura Road (MDR-3A) From Kranapur MDR-3A KM Stone No-00.00 to MDR-3A KM Stone No-34.00, Tehsil-Mandrail, District -Karauli. (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/148609/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक द्वारा आलोच्य प्रकरण में अभिशंका नहीं (Not recommended) की गयी है जिसके कोई स्पष्ट कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है।
2. आलोच्य प्रकरण में उप वन संरक्षक बफर करौली के अतिरिक्त राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर का क्षेत्र भी पड़ता है जिसे प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्र रणथम्भौर बाघ परियोजना के किट्टीकल टाइगर हैबीटाट का हिस्सा है जिसका उल्लेख पार्ट-1 में संलग्न मेप/के0एम0एल0 फाइल एवं पार्ट II में उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया गया है।
4. उक्त प्रस्ताव पूर्व निर्मित सड़क के चौड़ाईकरण का है उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त सड़क में 15 वर्ष पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा उक्त सड़क के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी जिसकी पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा आ दिनांक तक नहीं की गयी है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत करावे एवं स्पष्ट करे कि पूर्व का क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
5. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व निर्मित रोड की चौड़ाईकरण करने के तकनीकी और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कोई ठोस कारण नहीं दिये गये हैं।
6. प्रस्तावित वन भूमि आर0टी0आर0 बफर क्षेत्र एवं अभ्यारण्य का हिस्सा है जबकि यूजर ऐजेन्सी द्वारा अभी तक वन्यजीव स्वीकृति का आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो आवश्यक है।
7. डिजीटल लेयर के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। उप वन संरक्षक के स्तर पर परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को जिला कलेक्टर द्वारा सेट अपार्ट नहीं किया गया है।
9. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में वन्यजीव विवरण सही नहीं भरा गया है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित मॉडल दर पर नहीं है।
11. एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन/गैर वन भूमि अभ्यारण्य क्षेत्रवार नहीं दी गयी है।
12. उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
13. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के नोटिफिकेशन की प्रतियां संलग्न नहीं की गयी हैं।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर एजेंसी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 4/10/2023

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 7684-85

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक द्वितीय, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड, जल महल होटल के पास, जयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

and O/A to comp...
is not us. | EDS raised.
PA

4/10/2023